

(रा.प्र. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
सिवागा जिला बालोतरा  
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम प्राती का बारा की जमाबन्दी संवत् 2022-80 के खाता संख्या 33 में मेरा/हमारे नाम नरसीगं राम पुत्र उमेश

दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम नरसीगं राम पुत्र उमेश राम हैं।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।  
दिनांक :-

नरसीगं राम  
हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भूअ निरीक्षक

संबन्धित पटवारी/भूअ निरीक्षक नरसीगं राम के अनुसार प्रार्थी के नाम पर पुत्र उमेश के स्थान पर नरसीगं राम पुत्र उमेश राम नाम शुद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[Signature]  
न.गं.पु.  
ZLR

[Signature]  
न.गं.पु.

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

G.M.S-2025/589

[Signature]  
तहसीलदार समदडी

आदेश

क्रमांक 2025-1998/680

दिनांक 6-10-2025

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम प्राती का बारा की जमाबन्दी संवत् 2022-80 के खाता संख्या 33 में नरसीगं राम पुत्र उमेश के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज नरसीगं राम पुत्र उमेश राम



की जाती है नदनुसार रिकॉर्ड में प्रामाणिकता की कार्यवाही की जावे ।  
स्वीकृत  
नरसीगं राम पुत्र उमेश राम  
लिखा जाता है।

[Signature]  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवागा (बालोतरा)